1 धर्मान्तरण, सेक्युलरिज्म और सर्वधर्म–समभाव

सर्व नारायण दास, बेगूसराय, बिहार

भारत वर्ष आरम्भ से ऐसी भूमि रहा ह, जहॉ दुनिया भर के सभी धर्मो, जातियो के लोग मुक्तता से आते रहे है। सभी प्रकार के लोगों का, संस्कृतियों का यह संगम–स्थल रहा है। और इसी मे से यह चीज प्रकट हुई, जिसे भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म यूरोप मे पहुँचने के बहुत पहले भारत आ गया था और मालाबार मे सन 52 म पहला चर्च बना था। हमलावरो के हाथ पड़ने क पहले ही सूफियों के मार्फत इस्लाम भारत आ चुका था और यहॉ के भगवान–धर्म की भक्ति–परम्परा से प्रभावित हो सूफीमत विकसित हो चला। इसी तरह फारसी, यहूदी आदि आये, और सबका स्वागत किया गया। जब गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर इसे 'महामानवरे सागर तीरे' कहकर आर्य–अनार्य, मुसलमान–खृष्टो आदि सभी लोगों को आने का आहवान करते है, तब उनकी वाणी में भारतीय संस्कृति की आत्मा की पुकार ही ध्वनित होती है। वे भारत–भूमि से विश्व–संस्कृति के उदय का ही स्वप्न देखते ह।

जिस विश्व–संस्कृति के निर्माण की आकांक्षा आज मानव–चित्त में प्रकट हो रही है, भारतीय संस्कृति उसी का प्रारंभिक रूप था, एक माडल है। यहॉ के जोवन–दर्शन तथा परम्परा से विश्व–संस्कृति निर्माण की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन पिछली शताब्दियों में पश्चिम से एक धारा पहचकर काम कर रही है, जो मानती है कि उसके सिवाय अन्य सारे धर्म, खासकर गैर सेमेटिक धर्म अज्ञान के ही पर्याय है। इन 'हीदेन' लोगों, ज्ञान–प्रकाश से सदा वंचित रहे लोगों का धर्मान्तरण करा कर इनका उद्वार करना उसकी चिंता रही है। स्वभावतः इस धारा का भारतीय संस्कृति की धारा से मेल नहीं बैठता और राष्ट्रीय जीवन में असंतुलन निर्माण होते है। पश्चिम को धारा यहॉ के जीवन–दर्शन, जीवन का रचना के मूल पर घातक प्रहार कर रही है। उपरी सतह पर समय समय पर दरारे बनती तो नजर आती ह, लेकिन संकट का मूल गहराई मे कहॉ है, इस ओर ध्यान प्रायः नही जाता। बीच बीच मे कुछ प्रतिक्रियायें प्रकट होती ह, तो उन्हे साम्प्रदायिक या राजनीतिक कहकर खारिज कर दिया जाता है और सवाल की ओर से ऑख मूंद ली जाती है। अतः यहा इस खुले दिमाग से, पूर्वाग्रह–मुक्त मन से पूरे सवाल पर विचार करे, और ऐसा करते वक्त इस तथ्य को भी हम जरा बाज् कर द कि महात्मा गांधी के इस बारे म क्या अभिमत थे? उन्होंने खीस्ती मिशनरिया के धर्मान्तरण–सम्बन्धी किया कलाप को सर्वथा अधार्मिक हो करार दिया था। मिशनरियों द्वारा कुष्ठ सेवा, आरोग्य आदि क्षेत्रो में की जा रही सेवा के लिये गहरा प्रशंसा–भाव रहते हुये भी धर्मान्तरण की दृष्टि रखकर किये जाने की वजह से गांधी जी की नजर में उस सेवा की कीमत बहुत घट जाती थी। सेवा दूषित हो जाती थी, वैसे यह तथ्य भूलाने लायक नही कि ये विचार उस व्यक्ति के है, जिसके जीवन पर गीता के बाद Sermon on the mount का ही सर्वाधिक प्रभाव था, जिसके मित्रों और प्रशंसको की संख्या उस देश में भी अनगिनत थी, जिसकी सलतनत के खिलाफ भारत वह जूझ रहा था और उन मित्रों व प्रशंसकों में इसाई धर्माचार्यो की संख्या कम नही थी, जिसकी पहली जीवनी लिखन का श्रेय दक्षिण अफिका के रेवरेंड डोक को है, जिसके नेतृत्व में चले स्वराज्य–आन्दोलन में अमेरिका में धर्मप्रचार के लिये भारत आये रेवरेड कैथान ने भाग लिया था, जिसके लिये इस अमेरिकी पादरी को ब्रिटीश हुकूमत ने प्रथम देश निकाला और फिर जेल की सजा दी थी, इग्लैंड के वैभव–भरे जीवन का त्याग कर मीरा बहन (मिस स्लेड) सरला बहन मार्जरी साइक्स जैसी कुमारिकाओं ने जिसकी छाया में रहना स्वीकार कर लिया और जिसके बताये सेवा कार्यों में आजीवन तल्लोन रही।

धर्मान्तरण कार्यक्रम के लिये भारत म ब्रिटीश हुकूमत के समय जो वरदहस्त प्राप्त था, वह आजादी मिलने पर और यहॉ सेक्युलर स्टेट की स्थापना होने से किसी भी मजहब के लिये संभव ही नही रह गया। तथापि खोस्ती मिशनरियों द्वारा यह कार्यक्रम बेरोकटोक चलता रहा। इस कार्यक्रम पर राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की रोक लगे, बाधा डाली जाये इसका विरोध मिशनरियों के अलावे कतिपय ऐसे भारतीय करते रहे है, जिन्होंने अपना धर्मान्तरण नही किया है, करने का कोई विचार भी नही । धर्मान्तरण कार्यक्रम के लिये खुलो छूट रहनी चाहिये। इस मांग के पक्ष में मुख्यतया तीन तर्क है, (1) धर्मान्तरण पर रोक लगाने से संविधान प्रदत्त की नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है (2) इससे संविधान–प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता–सम्बन्धो मौलिक अधिकार पर आघात होता है। (3) ऐसी कोई रोक लगाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ काम है। एक नया तर्क और दिया गया है कि धर्मान्तरण करना धार्मिक अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है। जहॉ तक इस नये तर्क का सवाल ह, धर्म से इसका कुछ भी लेना–देना नहीं, धर्मनिष्ठा, दान अर्थात् फेथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसके पोछे सिर्फ संख्या विस्तार की दृष्टि है, राजनीतिक प्रभाव–विस्तार का ख्याल है। यह दृष्टि राजाओं के साम्राज्य–विस्तार की वृत्ति से मिलती जुलती है। अलावे इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से 1977 के फैसले स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रचार के अधिकार के मतलब धर्मान्तरण कराने का अधिकार नहीं।

जहॉ तक धर्मान्तरण के लिये खुलो छूट पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नागरिक के धार्मिक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति सम्बन्धो स्वातंत्र तथा सेक्युलरिज्म के आधार पर आपत्तियाँ की जाती है, उनके बारे में ठंढ दिमाग से विचार करना अपेक्षित है। उपर–उपर से यानि सतही तौर ये आपत्तियॉ सही प्रतोत होती है। लेकिन व्यापक पहलुओं को ध्यान मं लेकर गहराई से देखा जाये, तो ये आपत्तियॉ गलत और बेबुनियाद ठहरती है। धर्मान्तरण, धर्म परिवर्तन नागरिक के धार्मिक और अभिव्यक्ति सम्बन्धो स्वतंत्र का जो दायरा है, उससे कही गहरी चीज है। सच देखा जाये तो धर्मान्तरण कार्यक्रम स्वयं ही नागरिक क

धार्मिक और अभिव्यक्ति सम्बन्धी स्वातंत्र पर आघात करता है और सक्युलरिज्म का हनन करता है। निम्न तथ्यों पर गौर करने से यह बात स्पष्ट हो जाने वाली है।

(1) कोई व्यक्ति जिस तरह किसी पार्टी व विचार धारा में आस्था रखने को स्वतंत्र है, वैसी बात हम धर्मान्तरण के बारे नहीं। अध्ययन, अवलोकन और अनुभवों के प्रकाश में जब कभी उसे योग्य और आवश्यक दिखे, वह विचारधारा व पार्टी को छोड़ सकता ह, बदल सकता है। ऐसा करने का प्रसंग जीवन में अनेक बार आ सकता है। लेकिन धर्म का, मजहब का मामला बिल्कुल अलग तरह का है।

(2) पार्टी व किसी विचार धारा में आस्था के कारण नागरिक के सम्बन्धित परिवार और समुदाय के जीवन प्रवाह में कोई फेरबदल नही आता, कोई संकट व असंतुलन निर्माण नही होता। एक ही परिवार के सदस्य अलग–अलग विचार धाराओं में आस्था रख सकते है। उनका लगाव अलग–अलग व एक दूसरे के विरोधी पार्टियों से, संगठनों से हो सकता है। इस कारण से परिवार के जीवन मे कोई व्यवधान व संकट खडा नही होता। लेकिन ऐसा मजहब के मामले में संभव नहीं। ऐसा नही होता की एक परिवार के सदस्यो म से कोई हिन्दू हो, कोई मुसलमान हो, कोइ ईसाई हो, यानि हर धर्म, मजहब के साथ एक अपना ढांचा होता है, अपनी संहिता, कोड होता है। वह सिर्फ उपासना–पदति तक ही सोमित नही होता। परिणामस्वरूप परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक ही ढांचे म रहने को बाध्य है।

3. कोई परिवार जब धर्म परिवर्तन करता है– क्याकि परिवार के साथ ही धर्म परिवर्तन करना संभव है– तब वर्तमान मे मौजूद सदस्य सिफ अपना ही धर्म नही बदलते, बल्कि बाद मे पीढियो का भी वे धर्म बदल डालते है। यानी वे तय कर डालते हैं कि आगे जन्म लेने वालो को कौन सा धर्म मानना होगा, किस सामाजिक ढांचे मे रहना होगा। इसमे नागरिक के धर्म और अभिव्यक्ति–सम्बन्धी स्वातंत्र का स्पष्ट हनन है। होना तो यह चाहिये, जैसा कि विनोबा जी ने कहा था–जन्म से किसी व्यक्ति का मजहब नहीं माना जाय। अठारह साल का हो जाने पर जब कि उसे मताधिकार प्राप्त होता है, हर नागरिक अपना–अपना मजहब घोषित करे और वही उसका मजहब माना जाय। ऐसा करने मे ही नागरिक की धर्म और अभिव्यक्ति सम्बन्धी स्वतंत्रता निहित है। इसमे कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता कि बाप–दादे द्वारा बच्चो पर, जबकि वह बिल्कुल अबोध है, मजहब थोप डाला जाय जिसके बारे मे उसे कोई कल्पना व समझ ही नही।

4. धर्मान्तरण में यह भी गृहीत है कि अन्य सारे धर्म, मजहब घटिया है, ज्ञान के प्रकाश का इनमें अभाव है आर मनुष्य का उद्वार का एक मात्र साधन हमारा धर्म ही है। इस दृष्टि में मिथ्यावाद, अहंकार और दंश भरा है। यह दृष्टि समाज और राष्ट्र के जीवन में विग्रह एवं असहिष्णुता का सजन करती है। इसके क्या नतीजे होते है। इनकी कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे ह। दो–तीन शताब्दियों से यूरोप प्रगत विचारा का, दर्शनों का और चमत्कारिक वैज्ञानिक खोजों का भले ही उदगम रहा है। लेकिन यहॉ तक पहुचने में धार्मिक संकोर्णता के कारण कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है, यह भुलाया नही जाना चाहिये। रिफामेशन धर्म सुधार के युग में सत्यनिष्ठ और धर्मप्राण व्यक्तियों को इनक्वी जीसन के तहत इसाई संघ के आदेश पर जिन्दा जलाने का अभियान चला था इस इनक्वी जीसन नामक अमानुषिक संस्था का सृजन पन्द्रहवो शताब्दी में इसाई संध द्वारा स्पेन में अरब मूल के मुसलमानों का नामों निशान मिटाने के उद्‌देश्य से किया गया। उन लोगो का कत्ल किया गया जिन्दा जलाया गया व जबरन इसाई बनाया गया। इस चपेट में यहूदो भी आ गये। ये सारे कृत्य इसाई धर्म के वास्ते किये गये। यूरोप में यहूदियों और मुसमानों पर किये गये अमानुषित अत्याचारों के अलावे ग्यारहवीं बारहवी सदो में डेढ़ सौ वर्षो तक जो क्रुसेड चले, इसाई गत और इस्लाम, सलीब और हिलाल के बीच लड़ाईया चली, उनकी कहानियॉ अलग है। इन क्रुसडों के नाम पर जो कृत्य किये गयें, कोई भी इसाई उन पर गर्व नही कर सकता। मजा यह कि मुसलमानों के कब्जे से पवित्र भूमि यरूशलम को मुक्त कराने के उदद्‌देश्य से ये क्रुसेड लड़े गय, लेकिन रोम के पोप का अपना एजेन्डा कुस्तुन्तुनियों के चर्च को अपने अधीनस्थ करना भी था। कुस्तुन्तुनिया का चर्चा अपने को ही शुद्ध (Orthodox) चर्च मानता था और रोमन चर्च को मान्यता नही देता था। रोमन चर्च उनकी नजर में धर्म में मिलावट करने वाला चर्च था अतः क्रुसेडरों ने कुस्तुन्तुनिया के (Orthodox) चर्च को तहस नहस करने में कोई कसर नही छोडो । चाहे मुसलमान हो या यूनान के (ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन चर्च के लिये एक जैसे काफिर थे। ऐसे अनुभव हमें सबक देते है कि जब कभी धर्म विचार संस्था संगठन में आबद्ध होता है, हर बार धर्म fossitized religion हो जाता है यानो संगठन धर्म विचार का कब्र होता है।

धार्मिक उन्माद कैसा कहर धरती पर ला सकता है, यह चीज पिछले आठ दशको से हम यानी दक्षिण एशिया के लोग देख और झेल ही रहे है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी बात भारत की सम्पूर्ण इतिहास में पहले कभी नही हुई। पारसी लोग इस देश में आये वे लोग 'देवता' के लिए 'असुर' और 'राक्षस' के लिये 'सुर' शब्द का प्रयोग करने वाले रहे है, आर ईश्वर को वे 'अहुरमज्द' यानी 'असुर महान' कह कर सम्बोधित करते है। लेकिन भारत वासियों को कभी कोई आपत्ति नही हुई । अबीसिनोया से समुद्र पार कर जमाते आई, जो कुत्ते का मास खाने वाली थी। उनको समुद्र मे वापस धकेल नही दिया गया। श्वपच होने से अपनी बस्ती में उन्ह जगह नहीं दी जा सकती थी, तो गांव से बाहर, थोड़ा हटकर उनको आश्रय दे दिया गया, आजीविका की व्यवस्था भी कर दी गई। धार्मिक–सांस्कृतिक वैर विग्रह अंग्रेजी सल्तनत की देन है। उन्होंने शाश्वत काल तक अपना राज्य चलाने के हेतु से भारत में हर जमात, हर मजहब की बीच दूरिया बढ़ाने का धंधा चलाया, फूट और संघर्ष को हर तरह बढावा दिया। वे

तो आखिर पहले ही चले गये, लेकिन भारत उनकी लगाई आग से झुलस ही रहा है। आसेतु हिमाचल के इस भूखंड के टुकड–टुकड कर, उनके दूसरे के दुश्मन राष्ट्र बनाकर जाने का श्रेय अंग्रेजों ने हासिल किया। यह सारा भूखण्ड भारत वर्ष हजारों सालों से एक सांस्कति, एक सभ्यता, वाला एक देश रहा। राजनीतिक एकता, एक केन्द्रित शासन का इतने बड़े भूखंड में बनना और कायम रह पाना संभव ही तब नही था। दूसरी ओर नजर डाले तो विज्ञान–युग के बावजूद पश्चिमी यूरोप के देश बडो मुश्किल से साझा बाजार बनाने का तैयार हुये जो आज आर्थिक संघ तक पहचे ह एक राष्ट्र बनना अब भी दूर की मंजिल है।

यहॉ यह कबूल करना ही पडता है कि भारत म इस्लाम जिस तरह फैला, उसकी काली छाया आज तक कायम है। इतिहास की यह एक पहेली ही है कि जो इस्लाम पश्चिम में यूरोप तक गया, वह तो काफी उदार और सुसंस्कृत था। लेकिन भारत का जिस इस्लाम से संबंध आया वह बहुत अनुदार, कट्टर और जुल्मी का था। शायद इसका कारण यह हो कि पश्चिम मे जिनके द्वारा इस्लाम पहचा, वे अरब निवासी थे। ये विधानुरागी और सभ्य थे। इस्लाम के धार्मिक चेतना से अनुप्राणित थे। इनके समक्ष रामन चच वाले ही जंगली ठहरते थे। दूसरी ओर भारत में इस्लाम लाने और फैलाने वाले अफगान, तातार, मंगाल आदि हमलावर थे, जिनका असली मकसद राज्य जोताना, दौलत लूटना था। चूंकि ये लोग मुसलमान थे, तो इस्लाम को जबरन फैलाने का काम भी किया। लेकिन अरबों और इरानियो की तुलना में ये अफगान तातार और मंगोल असभ्य व अर्धसभ्य जातियॉ ही थी। महमूद गजनवी जैसे लुटेरे हमलावरों को मजहब से कोई खास मतलब नही था। उसने सोमनाथ मंदिर को तोडा, तो बलूचिस्तान में मस्जिदें भी गिराई, आर चुप न बैठने पर बगदाद के खलीफा को मोत की धमकी दी थी, दरअसल अरबों का दक्षिण भारत के राजाओं, खास कर राष्ट्रकूट के साथ दोस्ताना सम्बन्ध थे, और बहुत सारे अरब भारत के पश्चिमी किनारे पर बस गये और अपनी बस्तिओं मे मस्जिदें बनवाई थी, अरब विद्यार्थी काफी संख्या में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढने आते थे और हारू अल रशीद के समय भारतीय विद्वानों का बगदाद में बडा आदर था। गणित और ज्योतिष के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। हमलावरों से कई सौ साल पहले से मुसलमान धर्म प्रचारक भारत भर में घूमते थे और शान्तिपूर्वक प्रचार करते थे। लोग इनका स्वागत करते थ। तथापि जैसा कि पंडित नेहरू ''विश्व इतिहास की झलक'' में लिखते है ''इस्लाम भारत में गलत तरीके से आया और बहुत देर से (यानी चार सौ वर्ष बाद) आया। अगर अरब लोग शुरू में ही इस्लाम को लेकर भारत आये होते, तो उन्नतिशील अरबी संस्कृति और पुरानी भारतीय संस्कृति आपस मिल गयी होती, दोनों एक दूसरे पर असर डालती, जिसके महान् परिणाम आये होते। अरब लोग मजहब के मामले मे उदारता और बुद्धिवाद के लिये मशहूर थे। लेकिन आग और तलवार लेकर आने वाले हमलावरों से भारत म इस्लाम के नाम को जितना धक्का पहुँचा, उतना दूसरी किसी वजह से नहीं।'' तथापि हमलावरों के यहॉ बाशिदे बन जाने पर भारत की धरती की कमियां की वजह से इस्लाम और भारतोय संस्कृति के मिलन और समन्वय की प्रक्रिया आरंभ हो गयी, जो बहादुर शाह जफर तक जारी रही। इस सिलसिले में औरंगजेब के नाम का जिक्र आना लाजिमी हो जाता है। औरंगजेब बेशक एक धार्मिक मनुष्य था। मजहब के मामले अपनी निजो जिन्दगी में भी वह पाबन्द और कट्टर था। अपने मजहबी विश्वास के तहत ही उसने अपनी प्रजा की हिन्दू आबादी को जबरन मुसलमान बनाने की जोरदार कोशिश की। वैस यह काम इस्लाम के खिलाफ ही था, क्याकि कुरान स्पष्ट आदेश देता है कि दीन (धर्म) के मामल कोई जबरदस्ती नही हो सकती । समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी और जोर पकड़ चुकी थी, उसको औरंगजेब के कारण गहरा झटका पहुँचा । लेकिन इस घटना को इस्लाम के साथ न जोड़कर कुछ दूसरे नजरिये स देखने की जरूरत है। ऐतिहासिक नियति हमेशा सीधी और सरल राह ही नही चुना करती। नदी की धारा की तरह टेढो–मेढो कभी कभी उल्टी दिशा भी पकड लेती है। अगर औरंगजेब की बजाय दारा शिकोह दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता तो '''''' लेकिन नियति शायद चाहती होगी कि अन्वस तथा व्यतिरेक, दोनों तरीका से भारत की समन्वय साधना चले। और व्यतिरेक पद्धति का उपयोग ऐतिहासिक नियति ने भारत म कोई पहली बार ही किया गया हो, ऐसी बात नहीं । समन्वय की प्रक्रिया में सबसे गहरी रूकावट अंग्रेजो ने डाली। लॉर्ड माउन्ट बैटेन की इस उक्ति में जो उन्होनें देवेन्द्र कुमार गप्त से अपने लंदन आवास पर बात–चोत में कही थी, क्लाइव से लेकर आखिर तक अंग्रेजों के कारनामों की कहानी का निचोड़ आ जाता है। ''भारत–विभाजन की हमारी योजना में सबसे भारी रूकावट महात्मा गांधी ही थे। उनके पोठ पीछे हमने क्या सब किये, यह हमी जानते है।''

इसी क्रम में भारत भूमि की उस कमियॉ की यहॉ थोड़ी चर्चा कर लें, जिसके बदौलत आरम्भ से समन्वय–साधना अव्याहत चलती आयो है। स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम वालों को भारतीय संस्कृति की विशेषता की जानकारी देते हुये कहा था कि अंग्रेजी भाषा के tc exclude क्रियापद के लिये संस्कृत भाषा में कोई धातु नहीं है, उपसर्गादि लगाकर अलग से शब्द बनाना पडता है। यह संस्कृत भाषा की कमी नहीं भारतीय संस्कृति का गौरव है। मैक्समूलर का, जो मूलतः भाषा विज्ञानी थे और इसी रूचि के कारण ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, वेदोपनिषदादि, विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और दर्शनों का अध्ययन कर मानवीय विचारों के विकास का सूक्ष्म अवलोकन किया था, कथन है। Languge is The antobiography of human wind भाषा मानवीय चित की आत्मा कहानी है। तात्पर्य यह कि to exclude के लिए संस्कृत भाषा में कोई धातु न होना संस्कृत भाषा निर्माण के समय हुई आकस्मिक घटना का अनवधान का परिणाम नहीं। भारत का आन्तरिक चित, हृदय exclude करना जानता ही

नहीं। उसे यह विचार कभी छुवा ही नहीं, सूझा ही नहीं। जो भी यहॉ की धरती पर आयेगा, उसे वह शामिल कर लेगा और उसके गुण ग्रहण कर और फिर अपना रूप देकर उसको अपना बना लेगा। यह मिट्टी की सिफत है।

(5) अब हम दूसरे एक गंभीरतर पहलू का विचार करें। जब कोई आदमी पहले वाला धर्म छोडकर नया धर्म स्वीकार करता है, तो वह जाहिर करता है कि उसके बाप–दादे, पूर्वज मूख थे, अज्ञान और अंधकार में थे। इस तरह वह न केवल अपने बाप–दादा की परम्परा और विरासत से नाता तोड़ लेता है, बल्कि समुदाय और राष्ट्र क संपूर्ण अतोत और इतिहास से ही अलग हो जाता है। परिणाम स्वरूप आत्म पहचान का गहरा संकट (Crisis of Self Identity) निर्माण होता है। जिस इतिहास और परम्परा में व्यक्ति नें जन्म लिया, पला–पुसा और बड़ा हुआ, उससे कटकर एक ऐसी परम्परा और इतिहास को वह स्वीकार करता है, जो कभी उसका नहीं था। फिर अपनी धरती पर रहते हुए भी इस धरती में उसकी जड़ नहीं रहती और वह अपनी जड़ उस धरती में ढढता है, जो उसकी कभी रही नही। यह संकट कितना गहरा है यह सहसा ध्यान में नही आता। ''बार बेबीज'' की हालातों पर से कुछ अंदाज हो सकता है। युद्ध के समय सैनिको के स्त्रियों पर बलात्कार के कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके बाप का कोई पता नही होता। परिणाम स्वरूप ये बच्चे अस्वस्थ चित्त के हो जाते हैं, बड़े होकर स्वाभाविक नागरिक की तरह जीना अशक्य–प्रायः होता है। समाज के सामने मुश्किल समस्या बन जाती है। इसी कारण विनोबा जी ने धर्मान्तरण को De- nationalise यानी राष्ट्रीय सत्व से विरहित करने का प्रोग्राम बताया था। दूसरी ओर यहूदी और पारसी कौमों को देखे, तो डेढ़ दो हजार साल पहले अपनी धरती से उखड़ जाने के बावजूद वे अपनी इतिहास और परम्परा से बराबर चिपके रह, उनकी अपनी जड कभी कटी नहां। इन कौमों पर और जो भी संकट आये हो, आत्म पहचान का संकट कभी नही आया। एक सवाल यहॉ उठाया जा सकता है कि विज्ञान युग में जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया जोरों से चल रही है, एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण होना है, इसमें अलग अलग पहचानों, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक अस्मिताओं के लिये क्या स्थान है। विश्वमानव का आदर्श और 'जय जगत' के मंत्र क साथ विनोबा जी की राष्ट्रीय सत्व की रक्षा की चिन्ता कहॉ तक मेल खाती है? दोनों सवालो का उत्तर एक ही है, जो बहुत सरल व साफ है। मनुष्य को जैसे एक व्यक्तिगत शरीर रहता है। इस शरीर की मर्यादा में रहकर ही दुनिया को कुछ दे सकता है, उसी प्रकार उसका सामुदायिक शरीर हाता है, जिस शरीर का एक अपना सत्व होता है जिसे यहॉ राष्ट्रीय सत्व के आधार से ही मनुष्य, मनुष्य की तरह ही जी सकता है दुनिया की कुछ सेवा कर सकता है, वैश्विक संस्कृतिके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय सत्वां को कोई हानि नहीं पहुचायी जाय, इन्हें अधिक उदात्त और विकसित बनाया जाय ताकि वैश्विक संस्कृति के रूप में प्रस्फुटित हों।

सरांश, धर्मान्तरण कोई महज मामूली व निदाष कार्यक्रम नहीं। यह निरा अनिष्ट ही है। धर्म परिवर्तन पर सम्पूर्ण पतिबंध लगाना संभव नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन इसके अनिष्ट से बचने के लिये निहायत जरूरी है कि धर्मान्तरण को हतोत्साहित किया जाय। जिस प्रकार हिन्दू समाज में विवाह–बंधन में बंध जाने के बाद पति व पत्नी अपने मनमौजीपन व सनक में आकर जब चाहे विवाह–सम्बन्ध विच्छद कर ले, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कोर्ट तभी तलाक मंजूर करता है, जब उसे पूर्णतः विश्वास हो जाये कि यह विवाह बिल्कुल असफल रहा है, पति–पत्नी के रूप मे दोनों का साथ रहना असंभव है और तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। कोर्ट तब भी तलाक के लिये इजाजत देते वक्त पूरी सावधानी रखता है कि दूसरे पक्ष और इनके बच्चों के साथ बेइन्साफी न हो। धर्म परिवर्तन के लिये भी कोर्ट की मंजूरी लना कानून से लाजिमी कर दिया जाये और कोर्ट तभी इजाजत दे, जब वह संतुष्ट हो जाये कि धर्म परिवर्तन आस्था और उपासना के हेतु किया जा रहा है, नये स्वीकार किये जा रहे धर्म की खूबियों खामियॉ और छोड़े जाने वाले धर्म की खूबी–खामियों पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह विचार किया गया है। हर हालत में थोक धर्मान्तरण पर सम्पूर्ण रोक लगनी ही चाहिये। साथ ही यह व्यवस्था को जानी ही चाहिये कि राज्य की दृष्टि में अठारह साल के उम्र के पहले नागरिक का यानी जन्म से कोई धर्म नहीं माना जाय। बालिग हो चुकने पर नागरिक अपना जो धर्म घोषित करे, उसी को राज्य मान्यता दे। ऐसा किया जाना नागरिक स्वतत्रता की दृष्टि से निहायत जरूरी है। सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि धर्म को सवथा वैयक्तिक वस्तु ही मानी जाये। मजहब को राज्य की ओर से सामाजिक ग्रुप, समुदाय के रूप में मान्यता देना और फिर धार्मिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के फक खड़ा करना सेक्युलरिज्म के नितान्त विरूद्ध है। थोड़े से व्यक्ति ऐसे ह, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। विचार पूर्वक यानी आस्था से वे नास्तिक बने है। अर्थात् नास्तिकता ही उनका धर्म है। आस्तिकों द्वारा अनक बार इनका उत्पीड़न भी किया जाता है। तथापि नास्तिक आस्तिक के रूप म जिस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक का सवाल नहीं उठता, उसी प्रकार हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई, पारसो, बौद्ध, जैन आदि के बारे में भी अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक के सवाल कम से कम राज्य की नजर मे तो नहीं होनी चाहियें। ये फक समाज में है तो रह, लेकिन राज्य आने काम काज मे बिल्कुल अछूता रहे तभी सेक्युलरिज्म सुरक्षित रहने वाला है।

धार्मिक लोगों के लिये अंत में एक सूचना। एशिया में काम कर रहे कुछ प्रमुख मिशनरी गांधी जी से मिलने सेवा ग्राम पहुॅचे थे। वे एक हिन्दू के पास आये थे, जो उनकी नजर में ईसा की सिखावन पर पूरा पूरा चल रहा था, जो ईसा के क्रूस को सम्पूर्ण अर्थ में अपने जीवन में ढोये चल रहा था। तब पहली बात बापू ने उनसे जो कही – ''आज सारे के सारे धर्म निकम्मे हो चुके है। अगर एक भी धर्म असलियत पर होता तो दुनिया की यह हालत नहीं होती।'' इस कथन में रहे सत्य को व धर्माचार्य अस्वीकार नहीं कर सके। अतः सभी धार्मिक लोगों को खासकर उन

धर्मोत्साहियों का जो सारी दुनिया को अपने धर्म के झण्ड के नीचे लाने को बेसब्र ह, एक क्षण रूककर जरा देख लेना चाहिये कि गांधी के कथन में कहॉ तक सत्यता है।

सर्वनारायण दास

विकल्प यात्रा का प्रथम चरण सफलता पूर्वक सम्पन्न

दिनाक नौ नवम्बर से उन्नीस नवम्बर तक छत्तीसगढ़ के बोस विकास खंडो में विकल्प यात्रा आयोजित की गई। सम्पूर्ण यात्रा में बजरंग लाल अग्रवाल, रामसेवक गुप्ता तथा मुरारी लाल अग्रवाल तथा कुछ और साथी साथ रहे। यात्रा का प्रारंभ वाडफनगर से नौ तारीख को हुआ तथा समापन उन्नीस तारीख का अम्बिकापुर शहर में सम्पन्न हुआ। यात्रा के अन्तर्गत वाड्रफनगर, प्रतापपुर, भैयाथान, ओड़गी, सूरजपुर, लखनपुर, उदयपुर, प्रेमनगर, श्रीनगर, डीपाडीह, शंकरगढ़, राजपुर, बलरामपुर, धौरपुर, सीतापुर, बगीचा, बतौली, विश्रामपुर तथा अम्बिकापुर शहरां म लोक स्वराज्य सम्मेलन सम्पन्न हुए। सम्मेलन के दौरन श्री मुरारी लाल जी अग्रवाल के सारगर्भित कविता प्रस्तुतिकरण पश्चात् बजरंगलाल अग्रवाल ने लोकस्वराज्य की आवश्यकता, लोक स्वराज्य के विस्तृत विवेचना तथा राष्ट्रोय स्तर पर लोक स्वराज्य प्रणालो लागू होने के तरीकों पर प्रकाश डाला। श्री अग्रवाल ने अपने सारगर्भित उद्बोदन में जो कुछ कहा उसका विस्तृत विवरण ज्ञान तत्व के पिछले अक में प्रकाशित हो चुका है। तत्पश्चात् प्रत्येक सम्मेलन में श्रोताओं ने अनेक प्रश्न पूछ जिसका उत्तर श्री अग्रवाल ने दिया। प्रश्नोत्तर के बाद तीन प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हुये।

1– शासन को सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते अन्य दायित्व स्थानीय इकाईयों को सौप देने चाहिये। तात्कालिक रूप से पुलिस विभाग से भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित दायित्वों के अतिरिक्त अन्य सभी दायित्व या तो स्थानीय निकायों को दे दें अथवा अन्य विभागों को। लकड़ी, कत्था, वन विभाग को, अनाज खाद्य विभाग को, शराब गांजा अफीम एक्साइज विभाग को दे सकते ह।

2– सभी प्रकार के अनाज दालें, तेल, मसाले, कपड़ा, दवा, ईटा, खपड़ा, पशुचारा, खली, साइकिल, सभी तरह को वनोपज तथा वे सभी वस्तुऍ जो श्रम जीवियों के उपयोग की हो अथवा श्रम उत्पादित हो उन्हे पूरी तरह कर मुक्त कर दे। यदि आवश्यक ही हो तो कृत्रिम उर्जा, टेलीफोन, अखबार, पोस्टकार्ड आदि पर मूल्य वृद्धि कर सकते ह।

3– रामानुजगंज शहर में जारी नगरीय निकाय प्रणाली का अध्ययन करा कर उसके उपयुक्त अंशो को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें। तब तक के लिये रामानुजगंज नगर पंचायत में उसे वैधानिक मान्यता दें।

तीन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुए। एक दो स्थानों पर कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि सम्बन्धी शंकाऍ थी जो श्री बजरंज लाल ने विस्तृत विवेचना द्वारा समझाया। प्रस्ताव पारित होने के बाद श्री अग्रवाल ने सभी स्थानों पर लोक स्वराज्य मंच की कार्यकारिणी का प्रारंभिक गठन किया। कार्य कारिणी में अध्यक्ष का चुनाव सर्व सम्मति से सम्पन्न हुआ। कही कही कुछ अन्य सदस्यों का भी चयन हुआ। सभी अध्यक्षों की अगली बैठक अम्बिकापुर में चार फरवरी को दोपहर ग्यारह बजे रखने का निश्चय किया गया।

प्रश्नोत्तर

1– श्री चन्द्र शरण भार्गव, भार्गव मेडिकल स्टोर्स, आर्य समाज धार

ज्ञान तत्व के माध्यम से आपके विचार निरन्तर मिलते रहते है। केन्द्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के आधार पर कुछ अतिरिक्त सक्रियता को अपना दायित्व समझता हूॅ। शासन के अधिकार, हस्तक्षेप तथा दायित्व न्यूनतम होने के पक्ष में एक सार्थक बहस धार में शुरू की गइ है। कुछ मित्र धार में गोष्ठी रखने के इच्छुक है और कुछ अन्य रामानुजगंज जाकर वहॉ कि कार्य पद्धति देखना चाहते ह।

आपने ज्ञान तत्व अंक अन्ठावन में गुजरात के सम्बन्ध में विश्लेषण किया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत भारतीय लोक तंत्र तथा भारतीय संस्कृति के लिये घातक होगा। सभी हिन्दुओं का पुनोत कर्तव्य है कि संघ परिवार के तालिबानी करण तथा कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की योजना को सफल न होने दें। हिन्दुओं को चाहिये कि धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और इसाईयों से विचार विमर्ष अथवा शास्त्रार्थ की वैदिक परंपरा को पुर्नजीवित करें। इससे मुसलमानों का इण्डोनेशिया की तरह का भारतीय कारण संभव है।

2– श्री देवन्द्र कुमार ओझा, मद्रास, तमिलनाडू

आपके विचार निरन्तर मिलते रहते ह। प्रदीप दीक्षित जी के विचारों से मै पूरी तरह सहमत हूॅ कि सभी गांधी वादियों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिये। म भी इस दिशा में तमिलनाडु मे सक्रिय हूॅ। आप अपने विचार लिखें।

उत्तर :– मैं आपके विचारों से सहमत हूँ । म तो यह भी मानता हूँ कि शासन के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप कम करने में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से लगे सभी व्यक्ति या संगठन आपस म बैठकर साझी रणनीति पर काम करे तो बहुत अच्छा होता। मै इस कार्य हेतु पूरी तरह तैयार ह।

3– श्री रमेश कुमार सक्सेना, बरेली, उत्तर प्रदेश

प्रश्नः– हिन्दू मुस्लिम समस्या पर आपके विचार बहुत गंभीर और मनन–योग्य ह। आप यह बताने की कृपा करे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किन किन भूलो के कारण साम्प्रदायिकता मजबूत हुई और उसमें किसकी कितनी भूल मानी जावें?

उत्तरः– भारत में साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में महात्मा गांधी को छोड़कर अन्य सबसे गंभीर गलतियॉ हुई है जो इस प्रकार है–

1) स्वतंत्रता संघर्ष के समय हिन्दू राष्ट्र और पृथक पाकिस्तान की मांग उठाना पूरी तरह गलत था। गुलामी स मुक्ति के प्रयत्नों के समय धर्म के आधार पर भारत विभाजन की मांग उठाने के कारण साम्प्रदायिकता को महत्व मिला।

2) कुछ अतिवादो हिन्दुओं ने अयोध्या के तथाकथित राम जन्म भूमि मंदिर छल पूर्वक मूर्तियॉ स्थापित करके नया विवाद खडा कर दिया।

3) भारत को हिन्दू राष्ट्र के स्थान पर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाना एक बुद्धिमता पूर्ण कदम था। किन्तु धर्म निरपेक्षता का अर्थ समान नागरिक संहिता होना चाहिये था न कि सभी धर्मो को समान सम्मान। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक की भावना का समावेश पूरी तरह गलत था।

4) संघ परिवार द्वारा महात्मा गांधी की धर्म निरपेक्षता को हिन्दू विरोधी प्रचारित करना एक तीसरी गंभोर भूल थी। इसो प्रचार की अंतिम परिणति गांधो हत्या के रूप से सामने प्रकट हुई।

5) पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा, गांधी हत्या के बाद, कट्टरपंथो हिन्दुओं को कुचल देना चाहिये था किन्तु उन्होन इसके स्थान पर कट्टरपंथो मुसलमानों को प्रोत्साहित किया। इससे कट्टरपंथो मुसलमानों को तो राहत मिली किन्तु धमनिरपेक्षता को बहुत नुकसान हुआ।

6) धर्मनिरपेक्ष भारत में हिन्दू कोड बिल जैसे एक पक्षोय प्रावधानों नें हिन्दुओं के मन में शंका पैदा की। हिन्दुओं के लिये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा न्याय के साथ जोड़कर इस तरह बनायी गई कि हिन्दुओं की आन्तरिक कुरीतियॉ समाप्त हो। दूसरी ओर मुसलमानों के लिये धर्मनिरपेक्षता की वही परिभाषा बदलकर इस तरह बनाई गई कि मुसलमानों के धार्मिक तथा आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न हो।

7) सन् पचहतर के आपातकाल में संजय गांधी ने जब मुस्लिम कट्टरवाद पर आक्रमण किया और पूरी कठोरता से समान नागरिकता के विरूद्ध सोचने वालों का दमन शुरू किया तो संजय गांधी को उस समय को इस धारणा को कोई समर्थन नहीं मिला।

8) राजीव गांधी ने कटटरवादी मुसलमानो के समक्ष झुककर शाह बानो प्रकरण मे संविधान संशोधन करा दिया। उनके इस घुटने टेक कदम से आरिफ मोहम्मद खान सरीखे धर्म निरपेक्ष मुस्लिम गुट को बहुत धक्का लगा।

9) संध परिवार द्वारा साम्प्रदायिकता के विरूद्ध संवैधानिक तरीके से जनमत जागरण का मार्ग अपनाकर अयोध्या मस्जिद तोडने जैसा साम्प्रदायिक कार्य किया गया।

10) कुर्वत पर इराकी आक्रमण के समय जो भारतीय मुसलमान चुप थे वही इराक पर अमरीकी आक्रमण के समय पूरी तरह मुखर हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान मे तालिबानी अत्याचारो यहा तक कि बुद्ध प्रतिमा तोडने जैसे घोर साम्प्रदायिक आचरण पर भी चुप रहने वाले मुसलमाना ने अफगानिस्तान पर अमरीकी आक्रमण के समय मुल्ला उमर या लादेन के पक्ष म नारे लगाने लगे।

इस तरह पिछले पचास वर्षों तक कांग्रेस तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दलो ने संगठित वोटा की लालच म मुस्लिम तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता बता बताकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता को मजबूत किया। दूसरी ओर संघ परिवार, शिवसेना आदि ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हिन्दू साम्प्रदायिकता को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया। अटल जी के एक छोटे से गुट ने किसी तरह अन्य दलो का मोर्चा बनाकर बीच का मार्ग निकालने का प्रयास किया किन्तु संघ परिवार और कटटरपंथी मुसलमाना ने निरन्तर उनके इस प्रयास को क्षति पहचाई। जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा और उसके बाद की गुजरात की घटनाएँ घटित हुई।

गुजरात के चुनाव कांग्रेस और भा॰ज॰पा की नीतियो, कार्यकमा अथवा उनके समर्थन विरोध के आधार पर नही हुए। ये चुनाव सीधे–सीधे मुस्लिम कटटरपंथियो और संघ परिवार के बीच एक शक्ति परीक्षण था जिसम एक ओर कांग्रेस सहयोगी के रूप मे थी तो दूसरी ओर अटल जी के ग्रुप के भाजपाई। यह सर्वोदय के लिए धर्म निरपेक्षता को स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर था। सर्वोदय परिवार को इस चुनाव मे या तो जाना नही था या यदि जाना भी था तो साम्प्रदायिक संगठना के बीच धर्म निरपेक्षता का वास्तविक स्वरूप स्थापित करना चाहिए था। किन्तु सर्वोदय परिवार ने हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रत्यक्ष विरोध और मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अप्रत्यक्ष समर्थन करके धर्म निरपेक्षता की रही सही उम्मीदा पर पानी फेर दिया। अब

भारत मे मुस्लिम साम्प्रदायिकता पराजित, धर्म निरपेक्षता अविश्वसनीय तथा हिन्दू साम्प्रदायिकता विजेता के रूप मे स्थापित हो गई है मेरे विचार म सर्वोदय परिवार द्वारा गुजरात चुनावा मे की गई भूल अत्यन्त ही गम्भीर है।

4– श्री मदन मोहन वर्मा ग्वालियर मध्यप्रदेश

ज्ञान तत्व मिलता है। इस बार का बैरंग मिला और पैसा देना पडा। भविष्य म ध्यान रखियेगा।

उत्तर. ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका के रूप म विधिवत पंजीकृत है। डाक विभाग के नियमा के अनुसार इसमे एक रूपये का टिकट लगाना चाहिए जो हम लगाकर भेज रहे है। अज्ञानता वश यदि कोई डाकिया विलम्ब कर तो आप मत ल आर मुझे सूचित करने की कृपा करे। यदि कभी टिकट निकल जाये तो दो रूपया देकर ले लेना उचित होगा। आप डाकिया के यह भी पता करे कि उसने किस आधार पर विलम्ब किया है।

5– श्री महेश चन्द्र सक्सेना करीमगंज आंध्रप्रदेश

दिल्ली के अंसल प्लाजा म दो लोगो का आतंकवादी कहकर गोली मार दी गई। आतंकवादी थे या नही यह सिद्ध नही किया गया। यदि वे आतंकवादी भी थे तो मठभेड म मरे या योजनापूर्वक मार दिये गये यह कुहासा भी अभी छटा नही है। माननीय कुलदीप नैयर जी ने यह मद्दा उठाया किन्तु उसके बाद वह मामला दब गया। प्रजातान्त्रिक भारत मे यह क्यो हो रहा है? और समाधान क्या है।

उत्तर.प्रजातंत्र की यही पहचान होती है कि उस क्षेत्र को संवैधानिक तरीके से न्याय मिले। यहॉ न्याय लक्ष्य और संवैधानिक तरीका लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग। यदि लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग संवेधानिक न हो तो प्रजातंत्र के लिये घातक होता है। मार्ग संवैधानिक होते हुए भी लक्ष्य से निरन्तर दूरी बढाने वाला हो तो वह तो और भी अधिक घातक होता है। यदि अंसल प्लाजा की घटना के संदर्भ म विचार करे तो यहॉ लक्ष्य है अपराधिया को उचित दण्ड मार्ग है उन्हे न्यायालय से सिद्ध कराकर न्यायालय के अनुसार दण्ड।

अंसल प्लाजा मे दो लोगा को गोली मार दी गई। कुलदीप नैयर जी ने इस प्रकरण को मानवाधिकार से शिकायत करके इसे जांच याग्य माना। इसम तीन प्रश्न विचारणीय ह 1– क्या उक्त दोना व्यक्ति शिकायत कर्ता कुलदीप नैयर जी को जानकारी मे निरापराध थे? 2– क्या उक्त दोनो व्यक्तियो को फर्जी मुठभेड मे मारा गया? 3– क्या कुलदीप नैयर जी के लिये यह कार्य समाजिक दृष्टि से उचित था। नैयर जी की जानकारी म उक्त दोनो व्यक्तियो को फर्जी मुठभेड मारा गया। किसी अपराधी को भी फर्जी मुठभेड म मारना असंवैधानिक, अप्रजातात्रिक मार्ग है। उक्त दोना व्यक्ति निरापराध थ यह बात न तो कुलदीप नैयर जी को पता है न ही वे कह रहे ह। इसका अर्थ यह है कि वे अपराधी भी हो सकते है। व्यवस्था के एक जिम्मेदार अंग ने उन्हे अपराधी माना है। परिस्थितियॉ भी उनके अपराधी होने को प्रमाणित करती है। इस तरह अंसल प्लाजा की घटना यह है कि पुलिस की जॉच में प्रमाणित दो अपराधियो को बिना न्यायालय मे प्रमाणित और दण्डित किये ही पुलिस ने फर्जी मुठभेड मे मार गिराया। किन्तु तीसरा प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि कुलदीप नैयर जी का इस मामले मे हस्तक्षेप कितना अवश्यक था? यदि किन्ही निरापराध व्यक्तियो को पुलिस फर्जी मुठभेड मे मार गिराती तब तो नैयर जी की सक्रियता एक समाजिक कार्य मानी जाती। किन्तु किसी संवैधानिक तरीके से अघोषित अपराधी को पुलिस असंवैधानिक तरीके से मार गिराये यह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक तो माना जा सकता है किन्तु समाज विरोधी नही। कुलदीप नैयर जी की सक्रियता संवैधानिक आवश्यकता तो हो सकती है किन्तु समाजिक आवश्यकता नही। एक वास्तविक अपराधी न्यायालय मे पहुॅचे बिना ही असंवैधानिक तरीके से मार दिया गया और वैसा ही अपराधी न्यायालय से निर्दोष छूट गया। दोनो ही गलत है। किन्तु पहले मे उद्देश्य पूरा हुआ मार्ग गलत था। पहले म मार्ग तो सही था किन्तु लक्ष्य ही नही मिला। म समझता हूॅ कि नैयर जी दूसरे को जितनी चिन्ता कर रहे है उतनी दूसरे की नही। दो लोगो की फर्जी मुठभेड मृत्यु के पूर्व कुलदीप नैयर जी का यह दायित्व था कि उनके निर्दोष होने की पूरी तरह जॉच करते और यदि वे निर्दोष होते तब वे पूरी ताकत से मानवाधिकार आदि तक दौड लगाते। विचार करने की बात है कि आतंकवादिया के न्यायालय द्वारा छूट जाने अथवा उन्ह वैसे ही अन्य कुछ लोगो द्वारा मिलने वाले जनसमर्थन के विरूद्ध न तो नैयर जी की सक्रियता दिखती है न ही उनकी लेखनी काम करती है। किन्तु यदि पुलिस किसी आतंकवादी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराती है तो नैयर जी पूरी तरह सक्रिय हो जाते है। नैयर जी सरीखे विद्वान को कानून और न्याय के बीच की दूरी समझनी चाहिये। यदि किन्हो स्थितियो मे कानून और न्याय के बीच दूरी बढती है तो या तो हमे न्याय का साथ देना चाहिये अथवा चुप रहना चाहिये। किन्तु न्याय के स्थान पर कानून का पक्ष लेना किसी भी दृष्टि से उचित नही।

मै जानता हू कि मेरा पक्ष निर्विवाद नही है किन्तु मै इस बात से पूरी तरह आश्वत हूॅ कि कुलदीप नैयर जी का पक्ष भी निर्विवाद नही है। इस संबंध म यदि उनका पक्ष ठीक है तो वे अथवा आप लोग और स्पष्ट कर। आपत्तिकाल मे अपनी प्राथमिकताऍ बदलना समय की आवश्यकता है और नैयर जी को भी परिस्थितियो की पहचान करनी चाहिये।

6– डा॰ गुरूशरण ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रश्न 1–अतीत की दुहाई देकर कहा जाता है कि भारत विभाजन न होता तो दंगे नही होते अथवा महात्मा गांधी की हत्या नही होती तो भारत का चित्र कुछ और ही होता। जो अतीत है उससे सबक तो लिया जा सकता है परन्तु हम कब तक इन घटनाओ का रोना रोते रहेंगे।

2–केन्द्र शासन मं गठ बंधन सरकार किसी तरह ठेल ठाल कर चल रही है। इसका हल क्या है। एसा कब तक चलेगा गुजरात विधान सभा चुनाव मं दो तिहाई बहुमत से सरकार बन रही है। इनके कट्टर हिन्दुत्व से पूरे देश मं प्रतिकिया बढने का खतरा है या नहीं।

उत्तर–आपका पहला प्रश्न ही स्वयं में एक उत्तर है। जो कुछ घटित हो चुका उससे दिशा निर्देश मिल सकता ह। इससे अधिक उसका कोई उपयोग नहीं है। जो लोग उस घटना से प्रभावित होकर अपनी भविष्य की नीतियॉ बनाते ह वे भूल करते हैं। घटनाओं स प्रभावित होना मानव स्वभाव है किन्तु नीति निर्धारिको को इस कमजोरी से बचते हुए तथा घटनाआं से सबक लेते हुए नीतियां बनानो चाहिये।

केन्द्र की सरकार ढीली ढाली चल रही है सच सच है। भारतीय राजनीति में धर्म निरपेक्षता को यदि आधार बनाकर चलं तो दा प्रकार के लोग हं 1–कांग्रेस 2–भाजपा में अटल जी का गुप। कांग्रेस स्वयं साम्प्रदायिक सोच नहीं रखती किन्तु राजनैतिक कारणों से वह मुस्लिम तुष्टिकरण के मार्ग पर चलती रही है और चल रही है। अटल जी मुस्लिम तुष्टिकरण हिन्दू तुष्टिकरण के घोर विरोधी हैं। वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के हं किन्तु उन्हें अपेक्षित समर्थन न मिलने से पूरी तरह मजबूर होकर कटटरवादी हिन्दुओं से दब रहे हैं। छ माह पूर्व तक उन्हांने कट्टरवादी हिन्दुत्व का दृढता से मुकबला किया। उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि तो बनी किन्तु उनके वोट घटते चले गये। अब उन्हें संकट में राजनीति करनी पड़ रही है। पहले संघ परिवार उन्ह प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने के लिये मजबूर था और अब वे संघ परिवार से दबने के लिये मजबूर हैं। यदि वर्तमान समय म वे अपनी आत्मा की आवाज पर त्यागपत्र दे द तो उनकी प्रतिष्ठा को चार चॉद लग जायगे किन्तु सत्ता मे धर्मनिरपेक्षता का एक अंतिम पैरवीकार भी टूट जाएगा। उसके बाद भारत में साम्प्रदायिकता का जो नग्न नृत्य होगा वह बहुत ही पीड़ा दायक होगा। गुजरात में हिन्दू साम्प्रदायिकता के बढ़े हुए मनोबल को आम हिन्दुआं का विश्वास खो चुके तथा कथित धर्मनिरपेक्ष कांगसी या गॉधीवादी तो रोक ही नहीं सकते, अब तक अपने संगठन के बल पर लाभ उठा रहे मुसलमान भी नहीं रोक सकंगे। देश भर मं खुले दंगे हांगे, हिन्दुओं का ध्रुवीकरण संघ विचार धारा के साथ होगा, और हम आप धर्मनिरपेक्ष लोग परिणाम शून्य विरोध दर्ज कराते रहंगे। मैं पूरी तरह इस मत का हूँ कि संघ परिवार के भावनात्मक हिन्दू एकीकरण का डटकर विरोध किया जाय और संघ परिवार के वैचारिक हिन्दुत्व के मुद्दे का नेतृत्व अपने हाथ मं लेकर उसकी हवा निकाल दी जाये। अटल जी ने धर्म निरपेक्षता पर एक बहस छेड़ने का सुझाव दिया है। इसके लिये उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाय। साथ ही बहस को वैचारिक स्वरूप देकर उसे साम्प्रदायिकता बनाम धर्म निरपेक्षता का रूप प्रदान किया जाय। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता संबंधी पुरानी यथा स्थिति वादी घिसी पिटी लाइन में अमूल चूल बदलाव लाकर परिवर्तन वादी धर्मनिरपेक्ष लाइन लेने की जरूरत है। जिस दिन संघ परिवार के साथ–साथ कट्टरवादी मुसलमान भी आपका कस कर विरोध करना शुरू कर दें तो आप मान ल कि अब खतरा टल रहा है।

अंत मं मैं आपकी बात दुहराता हूँ कि भारत में संघ परिवार की सफलता को रोकने के निम्न उपायों काम किया जावेः–

1– एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बने। ध्रुवीकरण संघ और संघ विरोधी के बीच न होकर साम्प्रदायिक और धर्म निरपेक्ष के बीच होना चाहिये।

2– एक धर्म सलाह समिति बने जिसमें सभी धर्मों के लोगो को इस प्रकार सम्मिलित करं कि उसमें अधिक जनसंख्या वालो का कुछ अधिक वालों का कुछ अधिक प्रतिनिधित्व हो।

3– किसी भी धर्म के आन्तरिक मामला मे कोई हस्तक्षेप करने वाला कानून तब तक न बने जब तक यह समिति सर्व सम्मति से उक्त कानून का समर्थन न कर।

4– धर्म प्रचार के लिये यह समिति ही मार्ग दर्शक सिद्धान्त तय करे।

5– धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने वाले को इस–

समिति के दिशा निर्देशो के आधार पर ही प्रयास करना आवश्यक होगा। अन्यथा धर्म परिवर्तन कराने का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास अपराध होगा।

6– किसी भी धर्म के आन्तरिक मामला मं हस्तक्षेप करने वाले सभी कानून तत्काल समाप्त किये जाये।

7– भारत मं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की धारणा को पूरी तरह समाप्त करके समान नागरिक संहिता लागू कर दी जावे।

भारत की वर्तमान स्थिति मं सर्वोदय ही एकमात्र ऐसी जमात है जो इस आधार पर वैचारिक पहल कर सकती है। सर्वोदय की विश्वसनीयता हिन्दुओं में अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः सर्वोदय को इस दिशा म पहल करनी चाहिये। इस पहल मं यह सतर्कता, पूरी तरह रखने की आवश्यकता है कि जो संगठन कट्टरवाद को हिन्दू, मुसलमान या इसाई के रूप में विभाजित करत है ऐसे संगठनां से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी जाय। साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा की जाने वाली आलोचना से बचने की अपेक्षा एसी आलोचना की अपने काम मं सहायक समझा जाय।

6– डॉ॰ गुरूशरण ग्वालियर मध्यप्रदेश

6/7/61 झ प्रश्न 7– श्री अखिलेश कुमार ओझा, रायपुर छत्तीसगढ़

साम्प्रदायिकता के संबंध मं आपके विचार बहुत सुलझ हुए हैं। आपके लेखो से ऐसा आभास होता है कि आप इस समस्या के समाधान में धर्म निरपेक्ष प्रयासों का नेतृत्व करना चाहते है? यदि आप ऐसा न भी चाहते हों तो आपको ऐसा प्रयास करना चाहिये। कृप्या अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

उत्तर– वर्तमान समय में भारत ग्यारह समस्याओं से जूझ रहा है 1– चोरी डकैती लूट, 2–बलात्कार 3– मिलावट, कमतौल 4– जालसाजी धोखधड़ी 5– आतंकवाद, दादागिरी 6–भ्रष्टाचार 7–साम्प्रदायिकता 8– जातिवाद 9– श्रम शोषण 10– आर्थिक असमानता 11– चरित्र पतन। ये सभी ग्यारह समस्याएँ पिछले पचास वर्षों से लगातार बढ़ रही है तथा भविष्य मे भी इनमं से किसी समस्या के समाधान की कोई निश्चित योजना न तो शासन के पास दिख रही है न ही समाज के पास। ये सभी समस्याएँ एक से बढ़कर एक है। सभी समाज क लिये घातक हैं। साम्प्रदायिकता ऐसी एकमात्र समस्या नहीं है जिसके समाधान का अन्य समस्याओं के समाधान पर व्यापक असर पड़े। अतः हमं इन समस्याआं मे से किसी एक के समाधान मं सम्पूर्ण शक्ति लगाने की अपेक्षा सामूहिक समाधान मे शक्ति लगानी चाहिये। यही सम्पूर्ण कान्ति है आर जय प्रकाश जी इसी आधार पर काम करना चाहते थे। इसलिये ही मैंने सभी समस्याआं पर व्यापक अनुसंधान करना

आवश्यक मानकर सबका अलग–अलग और एक साथ समाधान खोजा। मै लोक स्वराज्य मंच के माध्यम से इन सभी समस्याओं के संयुक्त समाधान का प्रयास कर रहा हूँ जिसमे साम्प्रदायिकता भी शामिल है। इस तरह मै साम्प्रदायिकता के समाधान के लिये कोई पृथक अथवा अकेले प्रयास की कोई योजना नही रखता। फिर भी यदि कोई संगठन या व्यक्ति वास्तविक धर्म निरपेक्षता की दिशा मं कोई पहल करता है तो मेरा पूरा पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा।

8– श्री लोकेन्द्र भाई, सर्वोदय विचार केन्द्र, झांसी, उत्तरप्रदेश

आपके सोच और सक्रियता का मैं प्रशंसक हूँ। लोक स्वराज्य मंच का कार्य अत्यन्त कठिन है क्योंकि आज राजनीति जितनी दूषित शक्ति–शाली और समर्थ हो गई है उसमं स्वयं को स्थापित कर पाना संभव नही दिखता। लोक स्वराज्य मंच शब्द तो बहुत अच्छा है किन्तु इस शब्द से ऐसा बोध होता है कि हम भी सत्ता की ओर जाना चाहते हैं। यदि हम कुछ लोगों को चुनकर सत्ता मे शामिल भी कर दें तो ये सही लोग चाण्डालों की कचहरी रूपी सत्ता में जाकर भी कुछ कर नहीं सकेंगे। अतः मेरा विचार है कि लोक जागरण किया जाय और लोगों को इतना समर्थ बनाया जावे कि लोग सत्ता की अपेक्षा अधिक मजबूत हो सकें।
उत्तर– मेरा और आपका सोच एक ही दिशा मे है। म किसी भी आधार पर सत्ता म शामिल होने का पक्षधर नहीं। मै सत्ता परिवर्तन को समाधान नहीं मानता बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का पक्षधर हूँ कि सत्ता की आवश्यकता ही कम से कम रह जाय। इस हेतु जनमत जागरण मं लगे व्यक्तियों और समूहां को ही मिलाकर हम लोक स्वराज्य मंच कहते ह। अतः मैं सत्ता के साथ किसी तरह के तालमेल का भी विरोधी हूँ, जुड़ने का तो प्रश्न ही नही है। किन्तु मं सत्ता से ऐसी दूरी भी नही रखना चाहता कि सत्ता निर्विघ्न चलती रहे मैं ग्राम स्वावलम्बन, स्वदेशी, मध निषेध, महिला उद्धार आदि कार्यो म व्यस्त रहूँ। म तो एसा जनमत खड़ा करने का पक्षधर हूँ कि हम सब मिलकर सत्ता को अपने अधिकार हस्तक्षेप और दायित्व कम करने की सीधी चुनौती दे सक। जब सत्ता के हस्तक्षेप से हम मुक्त हो जावंगे तब स्वदेशी और स्वावलम्बन की बात करना उपयोगी होगा।

9– आरती चकवर्ती 123A/1A साउथ सिंधी रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

ज्ञान तत्व अंक 59 म शोषण संबंधी आपके विचार खटकते हं। समाज के निर्धन वर्ग अथवा नारी जाति का निरंतर शोषण स्वयं सिद्ध है। फिर भी आपने इस शोषण को अपराध न मानकर इसका इलाज समाज वर छोड़ दिया। आप किस समाज की बात कर रहे है? क्या उस समाज की जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? अथवा जिनकी नस नस में राजनीति का प्रभाव घुसा हुआ है? आप कानून की बार बार चर्चा करते है जबकि कानून स्वयं मं खोखला हो चुका है। कानून के रक्षक और व्याख्याकार ही हड़ताल के अधिकार मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और अधिवक्ता संघ के रूप में उलझ पड़े हं। जब समाज का कोई ढांचा न हो, कानून नाकाम हो चुका हो तब क्या मूक दर्शक बने रहना और शोषण को रोकने के प्रयास से स्वयं को दूर कर लेना न्यायोचित होगा? यह विचारणीय है। यदि कुछ नहीं सोचा गया तो पार्टी वाले एक तरफ तो आपस में लड़ते रहेंगे दूसरो तरफ कुर्सी का मजा भी लूटते रहगे।

12/1/61 ड प्रश्न 10– श्री रामकिशोर जी पसीने, संपादक स्नेह भेट, 51 बसंत नगर, नागपुर, महाराष्ट्र, 440022

ज्ञान तत्व अंक 59 में आपने शोषण के विषय मं जो कुछ लिखा ह उस पर और विचार करने की आवश्यकता है। कम मजदूरी देना, अथवा निर्धारित अवधि से अधिक देर तक काम लेना शोषण भी है और अपराध भी। यौन शोषण तो अपराध ह ही। यौन शोषण पर तो कोई विवाद ही नही है।

ज्ञान तत्व को विचार विमर्श का साधन बनाना एक अच्छा प्रयास है। किन्तु आपका विचार अन्तिम रूप से सही आर सत्य है ऐसा मानना अथवा पाठकों को आभास कराना उचित नहीं।
उत्तर– शोषण अनैतिक है अपराध नहीं। शोषण सामाजिक समस्या है, राजनैतिक नहीं। शोषण सामाजिक दबाब से दूर होगा कानून से नहों। शोषण रोकने के उद्देश्य से बनने वाले कानून स्वयं शोषण में सहायक होते हैं। शोषण के सम्बन्ध मं आरती जी ने जो कुछ भी लिखा है वह स्वयं ही मेरे विचारों से मिलता है। मैं सहमत हूँ कि समाज का स्वरूप छिन्न भिन्न हो गया है। कानून स्वयं खोखला हो चुका है। पार्टी वाले सत्ता में रहकर लड़ने का नाटक मात्र करते हं किन्तु वास्तव में वे कुर्सी का मजा लेते हैं। ऐसी स्थितियो में शोषण को अपराध को घोषित करके राजनेताओं को हस्तक्षेप के और अवसर देना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। हमें दो बुराइयों मं से किसी एक का चयन करना ह। 1–शोषण 2–राजनेताआं के अत्याचार। यदि हम शोषण के इलाज से राजनेताओं को अलग कर दं तो एक ही बुराई का समाधान खोजना होगा किन्तु पचास वषां तक हमने शोषण के नाम पर राजनैतिक आतंक गुलामी और शोषण को जिस तरह झेला है वह उस कहावत को ताजा कराता है कि निर्णय की कमी क कारण कोई व्यक्ति प्याज और जूता, दोनां ही सहर्ष खाता रहता है। मेरा सुझाव है कि हम शोषण का समाधान कानून और शासन से हटकर सोचने का प्रयास करें तो तीन चाथाई शोषण तो अपने आप समाप्त हो जायगा।

पसीने जी ने जो कुछ भी लिखा है, मैं उससे सहमत हूँ। इस संबंध में और चर्चा होनी चाहिये। आपस में तय से कम मजदूरी देना या समझौते से अधिक काम लेना शोषण नहीं है बल्कि सीधा सीधा अपराध है। किन्तु यदि मेरे और मजदूर के बीच तय मजदूरी शासकीय दर से कम है तो उसे कैसे शोषण या अपराध माना जाय। यदि वह मजदूरी गॉव की प्रचलित मजदूरी के समकक्ष है तो वह न शोषण है, न अपराध। वह तो सिर्फ शासकीय कानून का उल्लंघन होने से गैर कानूनी कार्य मात्र है। यदि वह मजदूरी गॉव की प्रचलित मजदूरी से भी कम है तो वह शोषण है। इसके समाधान का प्रयास गॉव सभा को करना चाहिये। किन्तु शासन को तो इससे दूर रखना ही उचित है।

यौन शोषण का अर्थ यदि बलात्कार है तो वह निश्चित ही अपराध है और यदि वह आपसी सहमति है तो बिल्कुल भी अपराध नहीं भले ही सरकारी कानून कुछ भी क्यां न कहे।

मं जब भी लिखता हूॅ तो यह मानता हूॅ कि मेरा विचार अन्तिम है। यदि ऐसा न मानू तो लिख ही नहीं सकता। किन्तु मै यह भी सदा मानता हूॅ कि कोई विचार कभी अन्तिम नही हुआ करता। इस कारण ही मैं सदा मंथन हतु सक्रिय रहता हूॅ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि शोषण शब्द का वर्तमान शोषण रोकने हेतु एक साथक बहस आवश्यक है।

11– श्री पंचानन पाठक गोपालगंज, बिहार

लाक स्वराज्य क्यों? क्या? और कैसे? पुस्तक में आपने लोक स्वराज्य की परिभाषा में लिखा है कि ‘‘प्रत्येक इकाई को अपने इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता’’। गहन चिन्तन मनन के बाद मुझे इस परिभाषा मं संशोधन करके ‘‘प्रत्येक इकाई को अपने आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, राजनैतिक निर्णय की स्वतंत्रता’’ होना चाहिये। इसी प्रकार शासन के अधिकार, दायित्व, तथा हस्तक्षेप के न्यूनतम होने की आवश्यकता को भी आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा समाजिक परिप्रेक्ष्य मं हो देखना उचित होगा। राष्ट्र या राज्य के सभी प्राकृतिक संसाधन वहॉ के नागरिकों के ही हैं। किसी सरकार को ऐसे प्राकृतिक संसाधनां किसी भी शासनादश द्वारा किसी अन्य को एकाधिकार देना भी गलत होना चाहिये।

उत्तर– लोक स्वराज्य अथवा लोक स्वराज्य मंच की परिभाषाएँ पचीस वर्षो के निरन्तर अनुसंधान के बाद निश्चित की गई हैं। उनमं सामान्यतया किसी संशोधन की आवश्यकता नही हैं। इकाईगत स्वतंत्रता सब प्रकार की स्वतंत्रता का समावेश है फिर भी हम आप सभी लोग मार्च के छब्बीस से उन्नीस सेवाग्राम में बैठ ही रहे हं। वहॉ और चिंतन किया जा सकता है।

श्री शिव सवारथ सिंह, गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

आपके गंभीर विचार ज्ञान तत्व के माध्यम से निरंतर पढ़ता हूॅ किन्तु कुछ लिखने का अवसर नहीं मिला। आपके विचार समाजवादी दर्शन से भी बहुत मेल खाते हैं और गांधो दर्शन से भी। फिर भी आप इन दोनां या किसी एक विचारधारा स अब तक जुड़े नही है। क्या ऐसा माना जावे कि आपका किसी के साथ न जुड़ने का कारण आपका अपना अलग अस्तित्व बनाये रखने की आकांक्षा है?

उत्तर– एक प्रसिद्ध विचारक ने निष्कर्ष निकाला है कि संगठन विचारां की कब्र होता है। जब समाज मे संगठनों की बाढ़ आती है और विचार कब्र मं चले जाते हं तब समाज के किसी कोने से वैचारिक बहस की शुरूआत होती है। यह बहस तत्कालीन संगठनों की कब्रो से निष्पक्ष दूरी बनाकर हुआ करती है। यह बहस धीरे धीरे किसी निष्कर्ष पर पहुॅंचती है तथा उक्त निष्कर्ष को समाज तक पहुॅंचाने के लिये एक संगठन के रूप म बदल जाती है। यह संगठन उस निष्कर्ष को भविष्य के विचार मंथन से दूर करके उसे रूढ़ बना देता है और तब पुनः एक नए रूप मं विचार मंथन की शुरूआत होती है।

कोई भी विचारक जब किसी संगठन से जुड़ जाता है तो उसकी निष्पक्षता उसी तरह दूषित हो जाती है जिस तरह रंगीन चश्मा पहने हुए व्यक्ति की दृष्टि प्रमाणिक नहीं मानी जाती। वर्ततान समय मं समाजवाद और गांधीवाद किसी निश्चित विचारधारा का ऐसा स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं कि उनमें विचार मंथन का अभाव दिख रहा है। मेरे निष्कर्ष समाजवाद और गांधीवाद के निकट हं किन्तु ऐसे संगठनां स जुड़ जाने से विचार मंथन की मेरी निष्पक्षता अवश्य ही प्रभावित होगी। अतः अपनी ऑखों पर कोई रंगीन चश्मा न पहनना मेरी मजबूरी भी हैं और समय की आवश्यकता भी। आप इसे मेरी आकांक्षा न समझं तो उचित होगा।

12– स्वामी मुक्तानंद जी,

ज्ञान तत्व अंक 53 म आपने संगठन शब्द और उसके प्रभाव पर विस्तृत विवेचना की है। किन्तु आप यह भूल गए कि संगठन और संस्था एक नही बल्कि पृथक पृथक होते हं। संगठन को अंग्रजी मं **organization** और संस्था को **institution** कहते है। भारत मं समाज को सस्था का स्वरूप कभी नहीं दिया गया है। यह तो ईसाइयत और इस्लाम की देन है। इस बात पर भी विचार होना चाहिये।

13– श्री कृष्ण देव सिंह, अधिवक्ता मउ, उत्तर प्रदेश

ज्ञान तत्व अंक 53 में आपने संगठनां की आवश्यकता और दुष्प्रभाव पर गम्भीर और सटीक विचार प्रस्तुत किये हैं। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है शक्ति प्राप्त करना। यही शक्ति उसे मजबूतो से सुरक्षा और कमजोरा का शोषण करने के अवसर प्रदान करती है। इस तरह संगठन और शक्ति एक तरह के पूरक हैं। संगठन शक्ति का एकत्रीकरण करने मं सहायक है और शक्ति संगठन को मजबूत बनाने मे सहायक है। आपकी यह बात सच होते हुए भी इसका समाधान क्या है? कोई भी संगठन स्वयं को न ही विसर्जित करेगा, न तो कमजोर। अतः सब कुछ समझाते हुए भी समाधान नही दिखता।

आपने गोधरा और गुजरात के माध्यम से हिन्दुत्व, इस्लाम, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तथा सर्वोदय को भी चौराहे पर अपनी अपनी पहचान बताने पर मजबूर कर दिया है। बहुत ही सार्थक बहस छिड़ी है। मैं इस विचार मंथन से आपका पूरा सहयोगी हूॅ। किन्तु कहीं सर्वोदय के कुछ लोग आपके प्रयास का कोई गलत अर्थ न लगा ले, इतनी सर्तकता अवश्य रखं।

14– दलित मित्र श्री राम शिकं, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

ज्ञान तत्व अंक 53 म समाज के संगठना के औचित्य विषय पर अत्यन्त ही गंभीर विचार पढ़ने को मिले। आपने बहुत ही सटीक चित्रण किया है। मैं आपका आभारी हूॅ।

15– श्री चितरंजन भारती, पंचग्राम, आसाम 788802

ज्ञान तत्व अंक बावन में निष्कर्ष निकालने म परिभाषाओ के महत्व पर आपने गम्भीर विचार प्रस्तुत किये। समस्याआ के समाधान के लिये उनकी जड़ा तक पहुचने की क्षमता आवश्यक है और प्रयास भी। आप दोना ही दिशाओं में सफल है। मै इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि परिभाषाओं का निष्कर्षो पर बहुत असर पड़ता है। आपने पुरानी घिसी पिटी परिभाषाआ के स्थान पर संशोधित परिभाषाएँ देकर सार्थक पहल की है।

अंक 53 में आपने संगठना की आवश्यकता और औचित्य पर लिखकर मेरे जैसे प्रबुद्ध को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस समस्या का भी हमलोगो ने इस रूप में कभी नहीं देखा। हम ऑख मूँदकर संगठनों के सदस्य बन जाते ह ओर उसके बाद कोल्हू के बैल की तरह संगठन की चहार दिवारी के चारा तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। आप निरंतर इसी तरह भिन्न–भिन्न विषया पर समाज म यदि बहस चलाते रहें तो आपका यह प्रयास निश्चित ही सार्थक परिणाम देने म सफल होगा।

उत्तर– ज्ञान तत्व अंक 53 के मुख्य विषय पर प्राप्त विचार लगभग एक ही तरह के हैं। कृष्ण देव सिंह जी ने समाधान पर चिंता व्यक्त की है। समाधान बहुत कठिन नहीं है। संगठन का एक ही उचित आधार होता है प्रवृति। सभी सामाजिक लोगो को समाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध संगठित हो जाना चाहिये। वर्तमान म इस आधार पर कोई संगठन बना ही नहीं है तथा इसे छोड़कर वर्तमान में जिन आधारा पर संगठन बने या बन रहे ह, वे सब घातक हैं, समाज में छीनाझपटी के अवसर पैदा करते हैं, समाज विरोधियों के लिये ढाल का काम करते हैं। इन संगठना का विरोध करने मात्र से हल नहीं निकल सकता क्याकि आम नागरिक किसी न किसी आधार पर संगठन से जुड़कर रहना चाहता है। अतः इन संगठनों के विरोध से भी अधिक शक्ति प्रवृत्ति के आधार पर संगठन बनाने में लगानो उचित है।

आपने सर्वोदय परिवार को भ्रम होने के संबंध में संकेत किया है। सर्वोदय से जुड़े लोगो की नीयत के संबंध में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। अब तक मेरे विचारो का किसी ने बुरा नहीं माना यदि किसी ने मेरे विचारा का विरोध किया तो वह तब तक मंथन के लिये हितकर है जब तक विरोध करने वाले की नीयत पर कोई शंका नहीं। मेरे विचार से मेरे विचारों को सर्वोदय म भी उचित विचार विमर्श के लिये स्थान प्राप्त है। अतः चिन्ता की कोई बात नहीं है।

16– श्री जगपाल सिंह जी, मेरठ, उत्तर प्रदेश

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था मे कानून या शासन तंत्र की संरचना के माध्यम से शोषण को रोकना असम्भव है। साम्यवाद में स्पष्ट कीमत तन्त्र उपलब्ध ही नहीं है। श्रम आधारित कीमत तन्त्र के अभाव म शोषण का मुद्दा आज भी विवाद का कारण है और भविष्य म भी विवाद का कारण रहेगा। मैने अपनी पुस्तक में श्रम आधारित कीमत तन्त्र को विकसित किया है। 'काम' को प्रदान करने के लिये मांग तथा पूर्ति में स्थानीय संतुलन के आधार पर नई प्रकार की अर्थ व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है। अतः एवं शासन तन्त्र की संरचना तथा कानूना के माध्यम से बेरोजगारी समस्या का दूर नहीं किया सकता है। यह जरूर हैं कि इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था को शासन तन्त्र की विकन्द्रित संरचना को विस्थापित किये बिना न तो विकसित करना संभव है न लागू करना।

17– श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, गया, बिहार

ग्राम स्वराज्य को अनुप्रमाणित करता निष्कष निकालने मे परिभाषाओ का महत्व विषय पर आपका दृष्टिकोण विचार शक्ति के विकेन्द्रीकरण पर बल देता है। यदि आपके विचार को राष्ट्र के कर्णधार समझकर अमल मे लाते तो देश का बहुत कल्याण होता।

समस्याआ का इकाईयो में बांटकर समाधान ढूँढ़ने का सुझाव अनुकरणीय है। व्यक्तिगत समस्याओ का समाधान व्यक्ति स्वयं करता है। इससे उसे आत्मतुष्टि भी प्राप्त होती है। और वह स्वतंत्रता का अनुभव भी करता है। इसी तरह ग्राम, प्रान्त, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के समस्याओं का समाधान होना चाहिये।

गोधराकांड के संदर्भ म धर्मनिरपेक्षता को आपने यथार्थतः रेखांकित किया है। किसी भी साम्प्रदायिक संगठन के पक्ष या विपक्ष मे खड़े होकर कोई भी अपने आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकता। इसके लिये अत्यावश्यक है धर्म के सम्बन्ध म न्यायसंगत दृष्टिकोण और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान।

आज का राजनीतिक परिवेश केवल गत संचय के लिये धर्मनिरपेक्षता को तोड़ मरोड़ कर अपने हित में परिभाषित कर राजसत्ता को सुखोयाभोग चाहता है। राष्ट्र के लिये यह दुर्भाग्य की बात है। धार्मिक कट्टरता को चाहे जिस किसी भी संगठन के लोगों का प्रश्रय है उसका विरोध होना चाहिये। राष्ट्र को संगठित रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जीवन परिचय

1–नाम पता– श्री पंचानन पाठक, मिश्र बंधौरा, पो0 विजयीपुर जिला गोपालगंज, बिहार

2– शिक्षा– एम0ए, बी एड

3– पिछला जीवन– वर्ष 1963 से 1985 भारतीय सेना में कार्यरत। सैन्य सेवा पदक, रक्षापदक, लक्ष्मी सेवा पदक, संग्राम पदक, पच्चीसवी वर्षगांठ पदक, बंगाल आसाम क्लेस्य से विभूषित

4–वर्तमान जीवन–1979 म शासकीय मा0 शाला मे अंग्रेजी का अध्यापन

5–पुत्र सन्तान–1– मेजर शैलेन्द्र कुमार पाठक, भारतीय थल सेना
2– क्लाइंग लेफ्टीनेट जैनैन्द्र कुमार पाठक, भारतीय वायु सेना
3– दो पुत्रियाॅ विवाहित
6– अभिरूचियाॅ– सामाजिक समस्याआ का चिन्तन, मनन। सामाजिक समस्या अनुसंधान केन्द्र के कार्यो में निरंतर सक्रिय
7–लोक स्वराज्य मंच से सम्बन्ध– राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

सूचना

लोक स्वराज्य मंच दिनांक छब्बीस मार्च से उन्तोस मार्च तक का एक चार दिवसीय लोक स्वराज्य सम्मेलन सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र में आयोजित कर रहा है।

1– सम्मेलन छब्बोस तरीख को प्रातः नौ बजे से शाम आठ बजे तक तथा अन्य दिनो में आठ से शाम आठ तक लगातार चलेगा। बीच म एक से दो तक भोजन अवकाश रखा गया है।

2– सभी सहभागिया के भोजन तथा निवास की निःशुल्क व्यवस्था है।

3– सम्मेलन में छब्बीस तरीख को नौ बजे उद्घाटन भी राधाकृष्ण जी बजाज धरती गाता के प्रतीक स्वरूप ग्लोब को माल्यार्पण करके करेंगे।

4– 26.3 प्रथम सत्र – बजरंग लाल अग्रवाल द्वारा करीब डेढ़ घण्टे में लोक स्वराज्य क्यों और क्या विषय पर विचार तथा खुला प्रश्नोत्तर
द्वितीय सत्र– अन्य सहभागिया द्वारा विचार / प्रति व्यक्ति पांच से सात मिनट/ तथा प्रश्नोत्तर
27.3 प्रथम सत्र– भ्रष्टाचार, अपराध, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, महिला उत्पीड़न, भाषा, राष्टोयता, विदेश नीति न्याय व्यवस्था, परिवार प्रणाली, शिक्षा, दहेज, संवैधानिक संशोधन, चुनाव प्रणाली क आदि विषयों पर अनुसंधान के निष्कर्षों पर प्रश्नोत्तर
द्वितीय सत्र– महंगाई, मुद्रास्फीति, श्रम शोषण, गरीबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, आदि सभी आर्थिक विषया पर अनुसंधान के निष्कर्षों पर प्रश्नोत्तर
28.3 – लोक स्वराज्य कैसे विषय पर चर्चा पूरे दिन
29.3 – लोक स्वराज्य मंच क्या? क्या? कैसे पर चर्चा तथा कार्ययोजना

5– सम्मेलन का समापन आर्य समाज के एक प्रमुख विद्वान द्वारा

6– सम्पूर्ण सम्मेलन श्री ठाकुर दास जी बंग के मार्गदर्शन तथा श्री दुर्गा प्रसाद जी आर्य की व्यवस्था के अन्तर्गत

7– प्रत्येक सत्र– पूर्व गृह कार्य हेतु अधिकतम सुविधा

8– सम्पूर्ण सम्मेलन म भाषण का कोई प्रावधान नहीं। विचार विमर्श पद्धति। सत्र के अध्यक्ष किन्हीं दो वक्ताआ को अधिकतम बीस बीस मिनट दे सकते हैं।

9– प्रतिदिन श्री मुरारी लाल जी द्वारा प्रारम्भ एक दिन गीत

आप उक्त सम्मेलन आने की अवश्य कृपा करें। और जानकारी हतु रामानुजगंज कार्यालय से फोन या पत्र व्यवहार करें।

बजरंगलाल अग्रवाल
रामानुजगंज